न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 39/2021 जिला सीकर

1. मोहनलाल पुत्र श्री कालू
2. प्रहलाद पुत्र श्री कालू
3. श्रवण पुत्र श्री कालू
4. भागीरथ पुत्र श्री कालू
5. राजु पुत्र श्री कालू

समस्त जाति चमार(बलाई) निवासीयान ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जरिये प्रधानाचार्य बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
3. जिला कलक्टर सीकर जिला सीकर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर सीकर राज0 दिनांक 14.11.2017

उपस्थित—

1. श्री सीताराम यादव वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3

निर्णय

दिनांक —11.10.2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 14.11.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर द्वारा दिनांक 14.11.2017 को ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खसरा नं. 1868 रकबा 1.46 है0 भूमि राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्जा की ढाणी को तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की अभिशंषा के आधार पर खेल मैदान हेतु आवंटित करने के आदेश दिये गये।

3. जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 14.11.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट मोहनलाल पुत्र श्री कालू वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 14.11.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नं. 1868 रकबा 1.46 है0 जिसके गत खसरा नं. 1141/4 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा थे

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 1.46 है0 जिसके गत खसरा नं. 1141/4 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा थे जिसमें से अपीलांट की दादी स्व0 नाथी बेवा रघुनाथ जाति चमार का कदीम कब्जा काश्त होने पर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के नियमन आदेश दिनांक 20.12.1977 की अनुपालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा 3 बीघा (0.75 है0) भूमि का नामान्तरकरण संख्या 357 दिनांक 10.01.1978 स्वीकार किया गया जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो चुका है। बन्दोबस्त की प्रक्रिया के दौरान उक्त भूमि नवीन खसरा नं. 1868 रकबा 1.46 है0 में अपीलांट की दादी स्व0 नाथी देवी के हिस्से की खातेदारी भूमि को भी सम्मिलित करते हुए सिवायचक दर्ज कर कर्मचारी व अधिकारीगण की गलती के कारण राज्य सरकार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया जबकि उक्त भूमि पर उनकी दादी व उनके देहान्त उपरान्त अपीलांट्स मौके पर काबिज व काश्त कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर गौर किए बिना एवं अपीलार्थीगण को बिना नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय आवंटन के आदेश दिये हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दिनांक 14.11.2017 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर आवंटन प्रस्ताव व अभिशंषा के आधार पर सही जॉच के आधार पर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्जा की ढाणी को खेल मैदान हेतु सशर्त आवंटन आदेश दिए गए हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया गया। अपीलांट को जारी नकल फरवरी 2021 को प्राप्त होना व कोविड महामारी के कारण देरी होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त विवादित भूमि सन् 1980 से अपीलांट्स की खातेदारी में न होकर सिवायचक भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं अपीलांट्स द्वारा इन लगभग 37 वर्षों में उक्त विवादित भूमि में खातेदारी हेतु चुनौती नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 14.11.2017 को तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की अभिशंषा व मौका रिपोर्ट के अनुसार ही भूमि खसरा नं. 1868 रकबा 1.46 है0 किस्म सिवायचक को राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्जा की ढाणी को खेल मैदान हेतु सशर्त आवंटन आदेश दिए गए हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर सीकर दिनांक 14.11.2017 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

<u>अतः आदेश है कि:</u> अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 14.11.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर